राधेश्याम साह, भा0प्र0से0, विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–26.10.18 को विभागीय सभागार में राज्य क सरकारी प्रक्षेत्र में नवसृजित ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग स्कूलों के संबंध में को आयोजित बैठक की कार्यवाही:–

---

1. उपस्थिति पंजी के अनुसार –

राज्य के सरकारी प्रक्षेत्र में नवसृजित (10) ए0एन0एम0 एवं 05 (पांच) जी0एन0एम0 नर्सिंग स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रारंभ किये जाने निमित्त उन संस्थानों के आधारभूत संरचना कार्यबल की उपलब्धता अन्य आवश्यकताएँ आदि के संबंध में विस्तृत विचार–विमर्श के फलस्वरूप निम्नांकित निर्णय लिया गया।

2. **बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना द्वारा सभी संस्थानों में कुर्सी, टेबुल एवं अन्य उपस्करों की आपूर्ति तथा न्यूट्रिशनल लैब की व्यवस्था** :–"बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया है कि सभी संस्थानों में कुर्सी, टेबुल एवं अन्य उपस्करों की आपूर्ति कर दी गई है। कई जिला यथा–लक्खीसराय, शिवहर, सासाराम, खगड़िया एवं सहरसा, दाउदनगर, त्रिवेणीगंज, जहानाबाद द्वारा पंखा तथा बल्ब की कमी बतायी गयी है।
निदेश दिया गया कि बी0एम0एस0आई0सी0एल0 इन्हें शीघ्र आपूर्ति करावें।

(अनुपालन– प्रबंध निदेशक, बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना)

3. **सभी संस्थानों में फण्डामेन्टल लैब, लाईब्रेरी, 30 सीटर स्कूल बस की व्यवस्था, जेनरेटर, न्यूट्रिशन लैब के निर्माण हेतु सभी सिविल सर्जन, को राशि उपलब्ध कराना** :–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य द्वारा राज्यादेश संख्या–356(1) दिनांक–26.03.18 के आलोक में फन्डामेंटल, लैब, लाईब्रेरी, 30 सीटर स्कूल बस एवं जेनरेटर आदि की व्यवस्था राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के माध्यम से कराए जाने का निदेश है। अद्यतन राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा इसे उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रधान सचिव महोदय के द्वारा उन्हें स्मारित करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एवं प्रभारी पदाधिकारी–01)

4. **नर्सिंग स्कूलों में प्राचार्य, शैक्षणिक कर्मी एवं गैर शैक्षणिक कर्मी हेतु आवास की व्यवस्था**:–इस संबंध में बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन–प्रबंध निदेशक, बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना)

5. **नर्सिंग स्कूलों में चहारदिवारी एवं लिंक रोड का निर्माण** :–"नर्सिंग स्कूलों के प्राचार्य/प्राचार्यों द्वारा स्कूलों के भवन/छात्रावास की चहारदिवारी को उँचा करने, ग्राउन्ड फ्लोर पर ड्रेनेज सिस्टम को सुधार करने, सप्लाई नल की व्यवस्था, छात्रावास एवं स्कूल भवन को अलग करने के लिए लोहे का गेट लगाने आदि करने के संबंध में अनुरोध किया गया। इस संबंध में बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना के प्रतिनिधि को उक्त कार्य यथाशीघ्र पूरा करने का पुनः निदेश दिया गया।

(अनुपालन–प्रबंध निदेशक, बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना)

6. **नर्सिंग सकूलों में अग्नि संरक्षा यंत्र की व्यवस्था**:– कुछ नर्सिंग स्कूलों के प्राचार्य द्वारा सूचित किया गया है कि उनके संस्थान में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्नि संरक्षा यंत्र की व्यवस्था बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना द्वारा शीघ्र कराने का निर्णय लिया गया ।

(अनुपालन–प्रबंध निदेशक, बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना)

7. सुरक्षा प्रहरी, रसोईया, झाडुकश, डाटा ऑपरेटर की व्यवस्था (आउटसोर्सिंग के माध्यम से) :– " छात्र–छात्राओं के आवश्यकतानुसार संबंधित जिले के सिविल सर्जन के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर सुरक्षा प्रहरी रसोईया, झाडुकश, डाटा ऑपरेटर की व्यवस्था शीघ्र कराने का निर्णय लिया गया है। आवंटन प्रशाखा–01 द्वारा की जा रही है।

(अनुपालन–संबंधित जिला के सिविल सर्जन एवं प्रभारी पराधिकारी, प्रशाखा–01)

8. नवसृजित नर्सिंग स्कूलों के भवन की मरम्मति आदि समस्याओं के संबंध में:– खगड़िया, शिवहर, एवं अन्य नर्सिंग स्कूलों के प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा सूचित किया गया कि नवनिर्मित भवन में दरार हो गया है तथा कुछ कुर्सी, टेबुल तथा अन्य अधिष्ठाापित उपस्कर/सामग्री टूटे–फूटे स्थिति में हैं। साथ ही सूचित किया गया कि स्कूल भवन/छात्रावास के छत से पानी लिकेज/भवन में जल जमाव की समस्या है तथा छात्र/छात्राओं की आवश्यकता के अनुसार फर्नीचर (गद्दा, बेड, कुर्सी, टेबुल) बिजली की सुविधा पंखा आदि पुर्णरूपेण अधिष्ठापित नहीं किया गया है। उक्त कार्य हेतु बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना के प्रतिनिधि को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करने का निर्देश दिया गया। साथ ही एक जांच समिति के गठन का निर्णय लिया गया, जिसमें संबंधित सिविल सर्जन संबंधित प्राचार्य एवं एक वरीय सिस्टर ट्यूटर रहेंगे, जो अपने–अपने संस्थानों का भैतिक निरीक्षण करके समस्याओं को चिन्हित करते हुए समाधान हेतु प्रतिवेदन/सुझाव समर्पित करेंगी "।

(अनुपालन–प्रबंध निदेशक, बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना)

Q, 1.11.18

(राधेश्याम साह)
विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 159/वि·स·को० /पटना, दिनांकः– 01-11-2018

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–01) के आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01 एवं 06/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 एवं 06/निबंधक, बी0एन0आर0सी0, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रषित।

प्रतिलिपि– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/सभी संबंधित जिला के सिविल सर्जन/प्राचार्य/प्राचार्या, सभी नवसृजित नर्सिंग स्कूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

Q, 1.11.18

विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना